# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 87/2014/श्रीगंगानगर.**

मैसर्स तुलसाराम कन्हैयालाल, सी–36, प्रेमनगर, श्रीगंगानगर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, श्रीगंगानगर. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**

**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 16/05/2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 398/आरवैट/श्रीगंगानगर/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.12.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23/24 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19ए के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये पारित आदेश दिनांक 7.11.2012 में वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट–10ए देरी से प्रस्तुत करने के लिये रूपये 83,500/– का विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी के आदेशानुसार विवरण प्रपत्र की देरी 179 दिन की थी जिसके अनुसार प्रतिदिन रूपये 100/– के विलम्ब शुल्क की गणना अनुसार कुल विलम्ब शुल्क रूपये 17,900/– आरोपित किया जा सकता है। उक्त तर्क के सन्दर्भ में वैट नियम 2006 के नियम 19ए का अवलोकन करने पर पाया कि

**लगातार.....2**

दिनांक 01.04.2012 को राज्य सरकार द्वारा नियम 19ए में संशोधन करते हुए इस नियम के तहत आरोपणीय विलम्ब शुल्क की राशि प्रतिदिन रूपये 100/— एवं अधिकतम राशि रूपये 50,000/— निश्चित की गयी थी अतः की गई गणना त्रुटिपूर्ण होने से आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 17900/— की सीमा तक कायम रखा जाता है एवं अवशेष राशि अपास्त की जाती है।

4. फलतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

16/5/2017

( के. एल. जैन )
सदस्य